भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो
कार्यालय अधीक्षक (निवारक),
निवारक एवं आसूचना प्रकोष्ठ,
छोटीसादड़ी रोड़,
प्रतापगढ (राजस्थान) 312605

Government of India
Ministry of Finance
Central Bureau of Narcotics
Office of the Supdt. (Prev.),
Preventive & Intelligence Cell,
Chhotisadri Road,
Pratapgarh (Raj.) 312605

PHONE+FAX :- (91) 1478-223182, E-MAIL:- supdt-pratapgarh@cbn.nic.in

फा.सं. XV (ii)1/Pic/PGH/Vch.2020-291-295 दिनांक 31.01.2023

:: नीलामी की सूचना ::

विषयः– **निष्प्रयोजित घोषित वाहनों के निस्तारण के संबंध में।**

कार्यालय अधीक्षक (निवारक) निवारक एवं आसूचना प्रकोष्ठ, प्रतापगढ़ (राज.) द्वारा केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरों की राजस्थान इकाई में निष्प्रयोजित 1 चार पहिया वाहन के निस्तारण हेतु '' जो जंहा है वही '' के आधार पर नीलामी प्रस्तावित की जा रही है। नीलामी हेतु प्रस्तावित वाहन का विवरण निम्नानुसार हैः–

S.No.	Registration No.	Make & Model	Stationed at	Reserve price (आरक्षित मूल्य)
1.	RJ 20-C- 7192	Mahindra Jeep , 1998	Pratapgarh (Raj.)	32000/-

2. उक्त वाहन को सक्षम अधिकारी द्वारा निष्प्रयोजित घोषित किया जा चूका है व वाहनों का मूल्यांकन संबंधित राजस्थान राज्य पथ परिवहन विभाग, प्रतापगढ़ द्वारा कर, वाहनों का आरक्षित मूल्य निर्धारित किया गया है, जो कि उपरोक्त तालिका में Reserve price (आरक्षित मूल्य) के अंतर्गत दर्शाया गया है।

3. उक्त वाहन हेतु अलग–अलग सीलबंद किये गये कोटेशनों को निम्नलिखित नियमों और शर्तो के अनुसार वाहनों के निस्तारण हेतु आमंत्रित किया जाता है। इस हेतु व्यक्ति/फर्म, जो कि उक्त वाहनों को खरीदने में रुचि रखता है, अपने उच्चतम दर के कोटेशन सील बंद लिफाफों में कार्यालय अधीक्षक (निवारक) निवारक एवं आसूचना प्रकोष्ठ, प्रतापगढ़ में दिनांक 20.02.2023 को शाम 03.00 बजे तक जमा करना होगा।

4. उक्त संबंध में प्रस्तुत सीलबंद कोटेशनों के लिफाफों पर साफ शब्दों में लिखा होना आवश्यक है कि "QUOTATION FOR PURCHASE OF CONDEMNED VEHICLE Make & Model" । प्राप्त सभी कोटेशनों को इस हेतु गठित समिति द्वारा निर्धारित दिनांक 20.02.2023 को शाम 04.00 बजे खोला जायेगा एवं कोटेशन में उच्चतम दर देने वाले व्यक्ति/फर्म को सफल बोलीदाता माना जाएगा। यदि बोलीदाता अथवा बोलीदाता के प्रतिनिधि चाहे तो कोटेशन खोलने के समय उपस्थित रह सकते है।

5. उक्त वाहनों का निरीक्षण श्रीमान् अधीक्षक (निवारक), कार्यालय अधीक्षक (निवारक) निवारक एवं आसूचना प्रकोष्ठ, प्रतापगढ़ की उपस्थित में दिनांक 20.02.2023 तक सुबह 11.00 बजे से शाम 03.00 बजे तक प्रत्येक कार्य दिवस में किया जा सकता है।

वाहनों की नीलामी कार्यवाही हेतु नियम व शर्त

1. वाहनों की नीलामी " जो जहां है वहीं " के आधार पर की जाएगी। अतः प्रत्येक बोलीदाता को अलग–अलग सीलबंद किया गया कोटेशन जमा करना होगा।

2. नीलामी की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए बोलीदाता को उपरोक्त चार पहिया वाहनों हेतु रु. 4000/– (चार हजार रुपये मात्र) की सुरक्षा जमा राशि (Earnest Money Deposit), खातेदार के रुप में "D.D.O. CBN, Kota" के पक्ष में आहरित डिमांड/बैंकर्स चैक के रुप में आवश्यक रुप से जमा करना होगा।

3. बिना सुरक्षा जमा राशि डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक (Earnest Money Deposit), के दिये जाने वाले कोटेशन पर विचार नहीं कर उसे खारिज कर दिया जाएगा।

4. प्राप्त सभी कोटेशनों को गठित समिति द्वारा निर्धारित दिनांक 20.02.2023 को शाम 4.00 बजे खोला जाएगा एवं कोटेशन में उच्चतम दर देने वाले व्यक्ति/फर्म को सफल बोलीदाता माना जाएगा। यदि बोलीदाता अथवा बोलीदाता के प्रतिनिधि चाहे तो कोटेशन खोलने के समय उपस्थित रह सकतें है।

5. सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति के 3 कार्य दिवसों के भीतर D.D.O. CBN, Kota के पक्ष में नकद/आहरित डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के माध्यम से बोली राशि आवश्यक रुप से जमा करना होगा।

6. सफल बोलीदाता सुरक्षा जमा राशि (Earnest Money Deposit) को निविदा राशि जमा होने के बाद ही रिलीज किया जाएगा। सुरक्षा जमा राशि (Earnest Money Deposit), को बोली राशि के रुप में समायोजित नही किया जा सकेगा, एवं नीलामी में अनियमितता पर सुरक्षा जमा राशि (Earnest Money Deposit), को जब्त कर लिया जाएगा। यदि सफल बोलीदाता द्वारा निविदा राशि जमा नही कराई जाती है जो उस वाहन हेतु उच्चतम बोली से कम पर आरक्षित मूल्य से अधिक राशि के बोलीदाता को मौका दिया जा सकता है अथवा नीलामी प्रक्रिया रद्द कर पूर्ण रुप से पुनः शुरु की जाएगी।

7. सफल बोलीदाता द्वारा आवासीय पते के संबंध में कागजी रुप से साक्ष्य (बोलीदाता, व्यक्ति होने की दशा में पेन कार्ड, आधार कार्ड आदि व बोलीदाता, फर्म होने की दशा में रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र आदि) प्रस्तुत करने पर ही नीलाम किए गए वाहन को ले जाने की अनुमति होगी।

8. सफल बोलीदाता द्वारा बोली राशि जमा कराने के 2 दिवस के भीतर ही नीलामी के तहत प्राप्त किए गए वाहन को स्वंय के खर्चे पर ले जाना होगा।

9. नीलामी के तहत विक्रय किए गए वाहन के लिए विभाग द्वारा उसकी योग्यता व गुणवत्ता की कोई गारंटी नही दी जाएगी।

10. वाहन की बिक्री के पश्चात् वाहन का वाणिज्यिक या अन्य उपयोग करने के लिए वाहन के हस्तातंरण और अन्य किसी दायित्व के लिए विभाग की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

11. सफल बोलीदाता प्राप्त किये गए वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र और आर.टी.ओ. द्वारा आवश्यक अन्य किसी दस्तावेज को प्राप्त करने हेतु स्वंय जिम्मेदार होगा व इसके लिए

आवश्यक खर्चे भी स्वंय उसके द्वारा ही वहन किए जाएगें। यह कार्यालय इस संबंध में उसकी ओर से किसी भी चूक के लिए जिम्मेदार नही होगा।

12. यदि सफल बोलीदाता वाहन को स्क्रेप के रुप में उपयोग में लेना चाहता है तो उसे चेचिस नम्बर वाले पार्ट को काटकर इस कार्यालय में आवश्यक रुप से जमा कराना होगा।

13. बोलीदातोओं द्वारा अपनी बोली वापस नहीं ली जा सकती है और यदि वे ऐसा करते है, तो उनकी सुरक्षा जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।

14. अधीक्षक (निवारक) निवारक एवं आसूचना प्रकोष्ठ, प्रतापगढ़ (राज.) द्वारा कोई भी कारण बताए बिना किसी भी समय, इस निविदा को रद्द करने, किसी भी कोटेशन को अस्वीकार करने या निविदा दस्तावेज में निहित किसी भी नियम व शर्तो में संशोधन/हटाने का अधिकार सुरक्षित रखते है।

15. नीलामी हेतु उपलब्ध वाहन की बोली हेतु कोटेशन भेजने का प्रोफार्मा अनुलग्नक ''क'' के रुप में संलग्न है।

(दीपक दुबे)
अधीक्षक (निवारक)
नि. एवं आसूचना प्रकोष्ठ
प्रतापगढ़ (राज.)

प्रतिलिपिः–

1. श्रीमान् नारकोटिक्स आयुक्त महोदय, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरों, 19 माल रोड़, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.) को सूचनार्थ सादर प्रेषित हैं
2. श्री सेल्वा मुरुगन, अधीक्षक केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरों, 19 माल रोड़, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.) को नीलामी की सूचना विभागीय वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु प्रेषित है।
3. श्रीमान् उप– नारकोटिक्स आयुक्त महोदय, कोटा (राज.) को सूचनार्थ सादर प्रेषित है।
4. श्रीमान् प्रबन्धक संचालन, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, प्रतापगढ़।
5. श्री आशीष भटनागर, निरीक्षक नीलामी सूचना शासकीय वेबसाईट eauction.gov.in पर अपलोड़ करें तथा नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवायें।

(दीपक दुबे)
अधीक्षक (निवारक)
नि. एवं आसूचना प्रकोष्ठ
प्रतापगढ़ (राज.)